जनपद हमीरपुर

थाना-राठ **दिनांक 21.07.2026**

थाना राठ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 250/2026 धारा 103(1)/109 BNS से सम्बन्धित हत्या का वांछित अभियुक्त घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल के साथ गिरफ्तार।

घटना का विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 19.07.2026 को थाना राठ पुलिस को एक वृद्ध महिला की हत्या की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर थाना राठ पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तो जांच में ज्ञात हुआ कि शोभारानी पत्नी स्व0 रामदीन राजपूत (उम्र लगभग 80 वर्ष) निवासी ग्राम मवई, थाना राठ, जनपद हमीरपुर की उनके पारिवारिक नाती गजेन्द्र राजपूत पुत्र स्व0 मदन पाल राजपूत द्वारा आपसी विवाद के दौरान कुल्हाड़ी से प्रहार कर दिया। घटना में शोभारानी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य संकलित कर शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा/पोस्टमार्टम की कार्यवाही की गई।
वादी बहादुर राजपूत पुत्र रामदीन निवासी ग्राम मवई, थाना राठ, जनपद हमीरपुर से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना राठ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 250/2026 धारा 103(1)/109 BNS बनाम गजेंद्र राजपूत पुत्र मदनपाल राजपूत निवासी ग्राम मवई, थाना राठ, जनपद हमीरपुर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही-

आज दिनांक 21.07.2026 को थाना राठ पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत उपरोक्त मुकदमें से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त गजेंद्र राजपूत पुत्र मदनपाल राजपूत को मॉर्चरी हाउस के पास बने यात्री प्रतीक्षलय, पनवाड़ी रोड ग्राम मवई से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अदद कुल्हाडी व एक अदद रस्सी के साथ गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

गजेंद्र राजपूत पुत्र मदनपाल राजपूत (उम्र करीब 36 वर्ष) निवासी ग्राम मवई थाना राठ जनपद हमीरपुर।

गिरफ्तारी का स्थान-

मॉर्चरी हाउस के पास बने यात्री प्रतीक्षलय, पनवाड़ी रोड़ ग्राम मवई।

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अदद कुल्हाडी व एक अदद रस्सी।

पुलिस टीम-

1. निरीक्षक अनूप सिंह (प्रभारी निरीक्षक थाना राठ)
2. उ0नि0 शिवमणि मिश्रा
3. का0 दिलीप कुमार
4. रि0का0 बलवीर यादव